संख्या: 680/2023/1606/पैंतीस-4-2023/35-4099/58/2023

प्रेषक,

डॉ० संजीव भारद्वाज,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
एटा।

नियोजन अनुभाग- 4 लखनऊ, दिनांक: 22 जून, 2023

विषय: जनपद एटा में वित्तीय वर्ष 2023-24 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

मा० मुख्य मंत्री जी की घोषणा के क्रम में विधान सभा क्षेत्र अलीगंज के ग्राम कलिंजर में राजकीय आई०टी०आई० के भवन निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्या- 01/2020/01/35-4-2020 दिनांक 04 जनवरी, 2020 द्वारा स्वीकृति निर्गत करते हुए भवन निर्माण कार्य की अनुमोदित लागत रू0 1103.22 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रु0 275.81 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। तत्पश्चात शासनादेश संख्या- 21/2023/29/35-4-2023/001-35-4099/40/2022, दिनांक 05 जनवरी, 2023 द्वारा अनुमोदित लागत रु0 1103.22 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में रु0 275.81 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी।

2- जिलाधिकारी, एटा के पत्र सं0-1473/1बी दिनांक 29.05.2023 द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु पूर्व में अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपभोग किया जाना इंगित किया गया है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 04 जनवरी, 2020 एवं दिनांक 05 जनवरी, 2023 द्वारा पूर्व में अवमुक्त धनराशि को समायोजित करते हुए तृतीय किश्त के रूप में अनुमन्य रु0 275.81 लाख (रुपये दो करोड़ पचहत्तर लाख इक्यासी हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रु० लाख में)

कार्य का नाम	अनुमोदित लागत	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त धनराशि
जनपद एटा के विधान सभा क्षेत्र अलीगंज के ग्राम कलींजर में राजकीय आई0टी0आई0 का भवन निर्माण कार्य	1103.22	551.62	275.81

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

http://shasanadesh.up.gov.in

1. उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 04.01.2020 एवं दिनांक 05.01.2023 की शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

2. प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।

3. परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/ डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

4. कार्यों को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

5. स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/ अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2024 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2024 तक नियोजन अनुभाग- 4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ०प्र० में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2024 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

7. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्वीकृत बजट के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023- 231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित शर्तों एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रु0 2,75,81,000/- (रुपये दो करोड़ पिचहत्तर लाख इक्यासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्ष 4250002030302 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के भवन निर्माण के चालू कार्य के लिए एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या: 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं ।

भवदीय,
डा० संजीव भारद्वाज
संयुक्त सचिव ।

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या: 680/2023/1606(1)/पैंतीस-4-2023/35-4099/58/2023 तद्दिनांक |

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1) प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2) महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3) अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, लोक निर्माण विभाग/ ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
4) अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त ।
5) अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव/ विशेष सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 |
6) निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी ।
7) मण्डलायुक्त, अलीगढ मण्डल |
8) निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9) संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफारमेशन कमीशन, नियोजन विभाग, उ०प्र० |
10) प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ |
11) मुख्य विकास अधिकारी, एटा ।
12) मुख्य/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, एटा ।
13) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग- 5 |
14) जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, एटा ।
15) सम्बंधित अधिशाषी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, एटा ।
16) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
डा० संजीव भारद्वाज
संयुक्त सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**